

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./16/डी- 110

दिनांक:- 17/2/16

### कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 122वीं बैठक दिनांक: 08.02.16 को अपराह्न 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

क्र. सं.	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		122:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 121वीं बैठक दिनांक 04.01.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 121वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 121वीं बैठक दिनांक 04.01.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 121 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए।
2.	4	122:2	मैसर्स उमा एन्टरप्राइजेज प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री लक्ष्मीनारायण गोयल, एन.ओ. वेद प्रकाश, गौरी शंकर, लक्ष्मीनारायण गोयल को आवासीय ग्रुप हाउसिंग के आरक्षित 5 प्रतिशत 2060.47 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र को सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने बाबत।	मैसर्स उमा एन्टरप्राइजेज के नाम से ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 76 से 83, 83/509, 88/1, 88/2, 81/532, 90/1, 79/530, 89/1, 80/531, 83/529, 84, 85/1, 88, 89 व 90 कुल कित्ता 22 रकबा 4.5974 है. में से सड़क व सुविधा क्षेत्र कम करते हुये 39141.14 वर्गमीटर भूमि का ग्रुप हाउसिंग के एकल पट्टे में से आरक्षित 2060.47 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र को सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु आरक्षित दरों के संबंध में ओ.एस.डी. (आर.एम.) व ए.ओ. (स्कीम) से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 14000/- रुपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन की राय दी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर मैसर्स उमा एन्टरप्राइजेज को सुविधा क्षेत्र की 2060.47 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक केन्द्र हेतु वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 14000/- रुपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	7	122:3	श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल को भूखण्ड संख्या ए-90 नित्यानन्द नगर ए से लगती हुई भू-पट्टी का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल को नित्यानन्द नगर ए के भूखण्ड संख्या ए-90 क्षेत्रफल 194.62 वर्गगज से लगती हुई भू-पट्टी क्षेत्रफल 57.5 वर्गगज का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भू-पट्टी 57.5 वर्गगज का आवंटन राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर + नियमानुसार कॉर्नर चार्ज वसूल कर किया जावे। आवंटन से पूर्व जोन उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करे कि आवंटन के पश्चात की स्थिति में वर्तमान में सैट बैक का उल्लंघन कर के निर्माण किया हुआ तो नहीं है।
4.	11	122:4	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को अम्बेडकर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर के स्थान पर आश्रय विहार योजना में कार्नर भूखण्ड संख्या 361, 370 में से	एलपीसी की 119वीं बैठक दिनांक 11.09.15 में श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को अम्बेडकर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर के स्थान पर आश्रय विहार योजना के कार्नर भूखण्ड संख्या 361, 370 क्षेत्रफल 469 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण में बढे हुये क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर की राशि आवंटन पत्र जारी

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			<p>एक भूखण्ड क्षेत्रफल 469 वर्गमीटर (बढ़े हुए क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर) में बढ़े हुये क्षेत्रफल की राशि एवं कॉर्नर चार्जेज के निर्णय के संबंध में।</p>	<p>करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर से वसूल की जाने एवं कॉर्नर चार्जेज नियमानुसार वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि बढ़े हुये क्षेत्रफल की राशि तत्कालीन आवासीय आरक्षित दर रूपये 2100/- प्रति वर्गमीटर से अथवा प्रचलित आरक्षित दर रूपये 6500/- प्रति वर्गमीटर से ली जावे तथा कॉर्नर चार्जेज किस दर से लिये जावे। नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(543)नवि/3/2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढ़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त इहरसा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। समिति की राय में 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय किए गए हैं। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 6500/- रूपये प्रति वर्गमीटर + नियमानुसार कॉर्नर चार्जेज वसूल करते हुए आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
5.	12बी	122:5	<p>साहित्य सदावर्त समिति को आवंटित भूमि में खसरा नं. 266 अंकित होने से रह जाने पर शामिल कर आवंटन करने बाबत।</p>	<p>एलपीसी की 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 में साहित्य सदावर्त समिति को विश्वविद्यालय हेतु ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. 251, 254, 255 से 261, 610, 611, 613 से 619 में से 30 एकड़ भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति उक्त खसरा नम्बरों के साथ खसरा नं. 266 को सम्मिलित करते हुये कुल 17.75 हैक्टेयर में से 30 एकड़ भूमि आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है। उपायुक्त द्वारा एलपीसी के निर्णय में खसरा नं. 266 शामिल करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 06.10.08 में साहित्य सदावर्त समिति को ग्राम राजावास के खसरा नं. 251, 254 से 261, 266, 610, 611, 613 से 619 में 17.75 में से निजी विश्वविद्यालय हेतु 30 एकड़ भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2005 में प्रस्तुत एजेण्डा में भी खसरा नं. 266 सम्मिलित था, किन्तु एलपीसी की बैठक के निर्णय दिनांक 15.12.07 में खसरा नं. 266 का उल्लेख नहीं है। साहित्य सदावर्त समिति ने विश्वविद्यालय हेतु खसरा नं. 266 को सम्मिलित करते हुये 30 एकड़ भूमि आवंटन चाहा है। चूंकि राज्य सरकार की स्वीकृति में अन्य खसरा नम्बरों के साथ-साथ खसरा नं. 266 भी सम्मिलित है। उपायुक्त ने बताया कि खसरा नं. 266 उक्त भूमि के बीच में स्थित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 251 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 254 रकबा 1.05 है., 255 रकबा 2.94 है., 256 रकबा 1.14 है., 257 रकबा 0.64 है., 258 रकबा 1.55 है., 259 रकबा 1.43 है., 260 रकबा 1.60 है., 261 रकबा 0.59 है. व 266 रकबा 1.20 है. कुल 12.26 हैक्टेयर में से खसरा नं. 255, 258, 259, 266 में से एकजस्टिंग रोड का 0.12 हैक्टेयर रकबा कम करते हुये 12.14 हैक्टेयर अर्थात् 30 एकड़ भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि के बीच में से जो हाईटेशन लाईन गुजर रही है,</p>

पति० आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				उसके निर्धारित मानक सेफटी कॉरिडोर, दूरी आदि मेन्टेन रखने का अप्ण्डरटेकिंग संस्था से लिया जावे।
6.	12वी	122:6	श्री रमेश चन्द्र सिंघल, श्री सतीश चन्द गौतम, श्री जगदीश प्रसाद करनानी एवं श्री कमलेश कक्कड को जविप्रा की हाथोज विस्तार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी-60, डी-70, डी-52 व सी-20 जिनका कब्जा भूखण्ड विवादित होने के कारण, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जा सका के स्थान पर रिप्लानिंग भूखण्ड संख्या 52ए, 53, 54 व 55 समान सडक पर विनिमय में दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन-12वी द्वारा श्री रमेश चन्द्र सिंघल, श्री सतीश चन्द गौतम, श्री जगदीश प्रसाद करनानी एवं श्री कमलेश कक्कड को जविप्रा की हाथोज विस्तार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी-60, डी-70, डी-52 व सी-20 जिनका कब्जा भूखण्ड विवादित होने के कारण, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जा सका के स्थान पर रिप्लानिंग भूखण्ड संख्या 52ए (168 व.मी.), 53 (168 व.मी.), 54 (168 व.मी.) व 55 (252 व.मी.) लॉटरी द्वारा विनिमय में दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चार भूखण्डधारियों को विनिमय किया जाना है, किन्तु 168 व.मी. के तीन भूखण्ड 52ए, 53 व 54 ही उपलब्ध है। अतः तीनों भूखण्डों की लॉटरी चारों आवेदकों के बीच की जाकर विनिमय किया जावे। शेष रहे एक भूखण्डधारी के लिये पृथक से कार्यवाही उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित की जावे। प्रत्येक भूखण्ड में बड़े हुये क्षेत्रफल 6 व.मी. की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से वसूल करने का भी निर्णय लिया गया।
7.	13	122:7	श्री बाबूलाल पुत्र श्री भोलाराम को रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में आवंटित कॉर्नर भूखण्ड संख्या 40 में क्षेत्रफल बढ़ने व कॉर्नर होने से अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-13 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री बाबूलाल पुत्र श्री भोलाराम को रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में लॉटरी माध्यम से भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। आवंटित भूखण्ड 270 वर्गमीटर व कॉर्नर भूखण्ड है। अतः आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ने एवं कॉर्नर का होने से विनिमय में आवंटी को इस योजना में रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 210, 352, 496, 514, 529 प्रत्येक क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड दिया जाना है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर समान माप, समान रोड चौड़ाई पर स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या में 210, 352, 496, 514, 529 प्रत्येक क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
8.	13	122:8	श्रीमति राजश्री कूलवाल (नाम हस्तान्तरण पश्चात) को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या सी-320 में 61.05 वर्गमीटर बढ़ जाने के कारण बड़े हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-13 द्वारा श्रीमति राजश्री कूलवाल (नाम हस्तान्तरण पश्चात) को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या सी-320 क्षेत्रफल 282 वर्गमीटर में 61.50 वर्गमीटर बढ़ जाने के कारण बड़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार 61.05 वर्गमीटर का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(543)नविदि/3/2009 दिनांक 10/11/11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बड़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। समिति की राय में 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय किए गए हैं। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बड़े हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 61.05 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर + नियमानुसार कॉर्नर चार्ज वसूल

श्रीमति राजश्री कूलवाल (एन.पी.सी.)  
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				करते हुए आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	15	122:9	निजी खातेदार मैसर्स एस्मा कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की निजी खातेदारी आवासीय योजना राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के सुविधा क्षेत्र संख्या 3 क्षेत्रफल 3321.40 वर्गगज को आवंटन करने का अनुरोध किया है। योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 8000/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना के सुविधा क्षेत्र 3321.40 वर्गगज को आवंटन करने का निर्णय लिया गया।	निजी खातेदार मैसर्स एस्मा कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनकी निजी खातेदारी आवासीय योजना राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र संख्या 3 क्षेत्रफल 3321.40 वर्गगज को सैकण्डरी स्कूल हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 8000/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना के सुविधा क्षेत्र 3321.40 वर्गगज को सैकण्डरी स्कूल हेतु योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	13ए	122:10	जिला पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण) को नव सृजित उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय, जमवारामगढ़ हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	जिला पुलिस अधीक्षक, जिला-जयपुर (ग्रामीण) द्वारा नव सृजित उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय, जमवारामगढ़ हेतु खसरा नं. 586 रकबा 87 बीघा 18 बिस्वा में से 5378 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन-13ए द्वारा उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मांगी गई भूमि अत्यधिक है। इस बाबत कोई विभागीय मानक निर्धारित नहीं है। अतः उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय, जमवारामगढ़ हेतु खसरा नं. 586 के प्रस्तावित भूखण्ड में से 2500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग से आवेदन शुल्क के 5000/- रुपये भी लिए जावे।
11.	12बी	122:11	निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी-92 व सी-93 में बड़े हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12बी द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी-92 का लॉटरी में क्षेत्रफल त्रुटिवश 41.25 वर्गमीटर भेजा गया था। जिसका आवंटन श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री पांचू लाल शर्मा को किया गया। अनुमोदित मानचित्र व मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 52.94 वर्गमीटर व 50.47 वर्गमीटर होने के कारण उक्त भूखण्ड की श्रेणी ई.डब्ल्यू.एस. से एल.आई.जी. हो जाती है, जिसके कारण आवेदक आय वर्ग अनुसार पात्रता नहीं रखता है। उक्त के क्रम में बड़े हुए 9.22 वर्गमीटर क्षेत्रफल का नियमन आरक्षित दर की दुगुनी राशि प्राप्त कर लीजडीड जारी करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उपायुक्त जोन-12बी द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी-93 का लॉटरी में क्षेत्रफल त्रुटिवश 40.5 वर्गमीटर भेजा गया था। जिसका आवंटन श्री अजय कुमार झांगिनिया पुत्र भगवान सहाय झांगानिया को किया गया। अनुमोदित मानचित्र व मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 68.69 वर्गमीटर व 62.31 वर्गमीटर होने के कारण उक्त भूखण्ड की श्रेणी ई.डब्ल्यू.एस. से एल.आई.जी. हो जाती है, जिसके कारण आवेदक आय वर्ग अनुसार पात्रता नहीं रखता है। उक्त के क्रम में बड़े हुए 21.81 वर्गमीटर क्षेत्रफल का नियमन आरक्षित दर की दुगुनी राशि प्राप्त कर लीजडीड जारी करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरणों में आवेदक के स्तर पर कोई त्रुटि नहीं हुई है। अनुमोदित मानचित्र व मौके के अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल बढ़ गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर

प्रांत. आयुक्त (एल.पो.सो.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या सी-92 व सी-93 में बड़े हुये क्षेत्रफल को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जावे।
बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-				
12.	7	122:11(1)	श्री सतीश चन्द भारद्वाज को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना करधनी गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या सी-122 के साथ लगती हुई भू-पट्टी 131.54 वर्गमीटर भूमि के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री सतीश चन्द भारद्वाज को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना करधनी गोविन्दपुरा में भूखण्ड संख्या सी-122 क्षेत्रफल 278.36 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। मौके रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 409.80 वर्गमी. है। जिस पर आवेदक द्वारा भवन निर्माण किया हुआ है। उक्त बड़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकने बाबत टिप्पणी भी अंकित की है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार ज्ञात होता है कि जविप्रा की प्रश्नगत भूमि पर आवेदक ने कब्जा कर निमोण कर रखा है। सट बैंक में भा निर्माण कर रखा है। यदि उक्त भू-पट्टी आवेदक को आवंटन का निर्णय कर भी दिया जाता है, तो भी सम्मिलित भूखण्ड पर सैट बैंक का उल्लंघन ही रहेगा। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक अधिकतम 60 दिवस में कब्जाशुदा भूमि में से सैट बैंक का उल्लंघन करते हुए किया गया निर्माण हटावे, तभी राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर आवंटन पत्र जारी किया जावे (भू-पट्टी 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण)।
13.	13	122:11(2)	उषा नाथ कपूर फाउण्डेशन को ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 99 किस्म चरागाह कुल 16.6500 हैक्टेयर में से 2 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत।	उषा नाथ कपूर फाउण्डेशन द्वारा रेजीडेन्सीयल कॉ-एज्युकेशनल सीनियर सैकण्डरी स्कूल, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज व रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट सेन्टर हेतु ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 99 किस्म चरागाह कुल 16.6500 हैक्टेयर में से 2 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने का आवेदन किया है। उपायुक्त से प्राप्त एजेण्डा नोट के अनुसार संस्था द्वारा चाही गई भूमि का मास्टर विकास योजना 2025 में भू-उपयोग यू-2 (HIZ) व यू-2 (LIZ) है व मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है। मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया जा सकता है। डीपीसीआर 2025 के वॉल्यूम 4 के बिन्दु संख्या 10.7 में अंकित जनरल प्रोविजन के अन्तर्गत ATM, Milk/Vending Booth, Recreational use, park, Parking, Affordable Housing Projects old age homes, all Govt. Offices, Public Facilities, Circulation and Public utility Premises as permitted in all Use Zone except G1 Zone अंकित है। इसके तहत यदि इसे पब्लिक फैसेलिटी में शुमार माना जाए, तो प्रकरण आवंटन की पात्रता रखता है। आवेदित भूमि किसी अनुमोदित योजना का भाग नहीं है। फलस्वरूप अविकसित है। जिस पर डीएलसी दर 3113090/- रुपये प्रति बीघा है। आवंटन नीति-2015 में उच्च माध्यमिक विद्यालय मय छात्रावास हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि का मापदण्ड निर्धारित है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज व रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट सेन्टर हेतु कोई मापदण्ड आवंटन नीति-2015 में उल्लेखित नहीं है। आवंटन नीति-2015 में महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई. सहित) हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि अधिकतम व रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि अधिकतम आवंटन का

पति. आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>प्रावधान है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को महाविद्यालय की श्रेणी में व रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट सेन्टर को रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर के समकक्ष माना जाता है, तो कुल 17000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जा सकता है।</p> <p>मास्टर विकास योजना 2025 के वॉल्यूम 4 के बिन्दु संख्या 10.11 में जविप्रा की स्टेच्यूटरी कमेटी द्वारा भू-उपयोग निर्धारण करने का उल्लेख है, किन्तु इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया है एवं किस कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाना, स्पष्ट नहीं होने से प्रकरण में राज्य सरकार के मार्गदर्शन/निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>समिति द्वारा भूमि आवंटन की दर नयी आवंटन नीति के अनुरूप रखना उचित माना गया तथा साथ ही यह उचित समझा गया कि आवंटन के इस प्रस्ताव को निर्णयार्थ राज्य सरकार को भेजा जाए।</p>
--	--	--	--	--

प्रयास संस्था के संबंध में पत्रावली पर विचार विमर्श किया गया। चूंकि प्रकरण में पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है व राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः राज्य सरकार को पत्र जारी किया जाकर संस्था के नाम परिवर्तन व बैलेन्स शीट आदि का उल्लेख करते हुये स्वीकृति प्राप्त की जावे। पुनः प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

प्रति० सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)  
 अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर  
 नयपुर अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

प्रति० सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)  
 अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर  
 नयपुर अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 122वीं बैठक दिनांक 08.02.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
4.	श्री मेघराज सिंह रतनू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री सतीश कुमार गोयल, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
9.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन-12ए व 12बी	विशेष आमंत्रित
10.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन-13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
11.	श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन-15	विशेष आमंत्रित
12.	श्रीमती उषा जैन, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित